दि0 27.10.2014 को मुख्य सचिव कक्ष, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में श्री एन0 रविशंकर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, संचालन समिति,उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित हुई उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की अष्ठम बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति का विवरण :

1. डॉ0 रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन तथा उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव–वित्त, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. श्री एस0एस0 शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. श्री राजेन्द्र कुमार, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–सं॰समिति, उ॰कैम्पा।
6. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड तथा सदस्य–सं॰ समिति, उ॰ कैम्पा।
7. डॉ0 योगेश गैरोला, प्रतिनिधि– अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय–एफ0आर0आई0, देहरादून (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)
8. श्रीमती वीना सेखरी, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड – विशेष आगंत्री
9. श्री ए0के0 दत्त, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्री
10. सुश्री ज्योत्सना सितलिंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य–सचिव, संचालन समिति

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये संचालन समिति (Steering Committee) की आठवीं बैठक में सर्वप्रथम कैम्पा के कार्यों एवं उद्देश्यों को संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया एवं विस्तृत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

कार्यसूची संचालन समिति 8.1: संचालन समिति की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या:–

सभी सदस्यों द्वारा गत सप्तम बैठक की संचालन समिति की कार्यवाही की पुष्टि की गई ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा टिहरी बांध परियोजना के आगाध क्षेत्र में Highest water level से ऊपर 15 से 20 मीटर में Green Belt तैयार किए जाने हेतु सुझाव दिया गया, जिसमें कोई अन्य गैर वानिकी गतिविधियां सम्पन्न न हों तथा इसमें कैम्पा का सक्रिय सहयोग चाहा गया। इस पर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि टिहरी बांध परियोजना में THDC के वित्तीय पोषण से वर्ष 2006 से 2009 तक Green Belt सृजन का कार्य वन विभाग के 2 वन प्रभाग टिहरी डैम–प्रथम तथा टिहरी डैम–द्वितीय द्वारा किया जा चुका है। उक्त दो वन प्रभाग इसी कार्य के लिए सृजित हुए हैं। अतः भविष्य में Green Belt के लिए अग्रेत्तर कार्य करने हेतु प्रथमतः THDC, वन विभाग तथा कैम्पा के साथ सम्पर्क कर Funding की possibilities को भी explore किया जाए।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
एवं मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल)

कार्यसूची संचालन समिति 8.2: कैम्पा निधि के अन्तर्गत APO 2014–15 के सापेक्ष प्रगति का विवरण

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2014–15 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना रू. 12054 लाख के सापेक्ष रु. 6501.09 लाख की धनराशि सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष कुल वित्तीय प्रगति रु. 2884.66 लाख है जो कि स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष 23.93% है।

सदस्यों द्वारा धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि वर्तमान समय कैम्पा से सम्बन्धित समयबद्ध कार्यों को पूर्ण करने हेतु उपयुक्त है एवं कार्यों को द्रुत गति से सम्पन्न कराया जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया एवं गुणवत्ता की जांच हेतु विशिष्ट पर्यावरण विशेषज्ञों के माध्यम से Third Party अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराए जाने हेतु विशेष सुझाव दिया गया। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति द्वारा बताया गया कि कैम्पा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से चयनित पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा वार्षिक रूप से मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वार्षिक कार्ययोजना में इस प्रकार के कार्य सम्मिलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जिनसे रोजगार सृजन हो सके एवं उनके द्वारा वनीकरण एवं अन्य Allied कार्यों में पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया। इस विषय पर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा यह अवगत कराया गया कि वन पंचायत नियमावली, 2005 के तहत पंचायती वनों में कार्य करते समय लागत धनराशि सीधे वन पंचायतों के खाते में जमा की जाती है। प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा वन पंचायतों के निर्वाचन समय पर न हो पाने के प्रकरण पर प्रकाश डालते हुए यह सुझाव दिया गया कि यदि राजस्व विभाग वन पंचायतों के निर्वाचन में समय नहीं दे पा रहा हो तो राजस्व एवं वन विभाग के फील्ड स्तरीय अधिकारीगणों की एक संयुक्त समिति का गठन कर निर्वाचन त्वरित गति से कराया जा सकता है। इस क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमुख सचिव, वन को निर्देश दिए गये कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देशित करें कि वे वन पंचायतों का निर्वाचन प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराएं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा निधि का सदुपयोग उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं वर्ष 2013 में हुई दैवीय आपदा को दृष्टिगत रखते हुए किए जाने पर बल दिया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा यह अवगत कराया गया कि दैवीय आपदा जैसे–बाढ़ संतुलन, भू–स्खलन, पारिस्थितिकीय प्रणालियों का संतुलन आदि कार्य कैम्पा निधि से सम्पन्न कराए जा रहे हैं। साथ ही कैम्पा के अंतर्गत तैयार की जाने वाली भावी योजनाओं में भी इन विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक–उत्तराखण्ड, प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमाऊं तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व प्रभागीय वनाधिकारी)

कार्यसूची संचालन समिति 8.3:

(1) कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि के अंतर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय का प्रबन्धन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया कि कैम्पा कार्यालय के प्रबन्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में विभिन्न मदों में रु. 345.00 लाख का संचालन व्यय हेतु बजट का प्रस्ताव है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में 30 सितम्बर, 2014 तक कैम्पा कार्यालय द्वारा रु. 77.73 लाख का संचालन व्यय किया गया है।

समिति के सदस्यों द्वारा कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि के अंतर्गत उत्तराखण्ड **कैम्पा कार्यालय का प्रबन्धन हेतु विभिन्न मदों में रु. 345.00 लाख के संचालन व्यय के बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया।**

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

(2) कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में:–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की षष्ठम बैठक में अर्जित ब्याज की राशि से फील्ड स्तर पर परिणामयुक्त मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के कार्य को गति प्रदान करने एवं प्रभावी बनाने हेतु मुख्य वन संरक्षक एवं विभागीय सचिव सहित उच्च स्तर के अधिकारियों को 25 फील्ड वाहन (यथा–स्कॉर्पियो अथवा समतुल्य) उपलब्ध कराने हेतु रु. 200.00 लाख की धनराशि को स्वीकृत करते हुए सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई थी।

उपरोक्त के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की बारहवीं बैठक में अवगत कराया कि उपरोक्त क्रय किए गये 25 वाहनों में से वनों की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन, अवैध पातन, अतिक्रमण को रोकने, वन्य जीवों की सुरक्षा तथा कैम्पा संचालित कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण को दृष्टिगत रखते हुए विशेष परिस्थितियों में 8 वाहन वन संरक्षक/निदेशक स्तर से अधिकारियों को आवंटित/उपलब्ध कराए गए हैं। कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त विचलन एवं उक्त परिप्रेक्ष्य में 8 वाहनों को मुख्य वन संरक्षक एवं उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए रु. 80.00 लाख

कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से क्रय करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन संचालन समिति की आगामी बैठक में प्राप्त कर लिया जाए।

सदस्यगणों द्वारा उपरोक्त का अवलोकन कर उपरोक्तानुसार पूर्व पारित प्रस्ताव से विचलन एवं कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से 8 वाहन क्रय करने हेतु रु० 80.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)

कार्यसूची संचालन समिति 8.4: APO 2014–15 के संशोधन का अनुमोदन

समिति को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा निर्गत आदेशों एवं अनुमोदन के क्रम में वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना निम्नानुसार कुल रु० 12054.00 लाख की तैयार की गई, जिसे संचालन समिति द्वारा दिनांक 27.03.2014 को अनुमोदन प्रदान किया गया –

(धनराशि लाख रु. में)

1. NPV घटक	2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3. संरक्षित क्षेत्र	4. अन्य (Others)	5. CAT Plan	कुल योग
6409.92	1399.90	246.18	1998.00	2000.00	12054.00

कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 09.10.2014 को उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2014–15 हेतु रु० 13500.00 लाख की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई।

तत्पश्चात मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 18.09.2014 को समीक्षा बैठक में वर्षाजल संग्रहण एवं चारा एवं चारागाह विकास हेतु विशेष प्राविधान किए जाने के निर्देशों के क्रम में तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन के क्रम में निम्न संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 हेतु संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि लाख रु. में)

1. NPV घटक	2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3. संरक्षित क्षेत्र	4. अन्य (Others)	5. CAT Plan	कुल योग
7816.31	1389.55	105.77	2648.30	1717.51	13677.44

उपरोक्त का घटकवार एवं उप घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि लाख रु. में)

क्र. सं.	घटक का नाम	गढ़वाल जोन	कुमाऊं जोन	वन्यजीव जोन	प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत	अन्य स्तर	प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड	मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पा	योग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9.00
1	NPV								
i	वन/वन्यजीव रक्षक चौकी	143.99	93	74	0	0	0	0	310.99
ii	रेंजों हेतु वाहन (60 वाहन व 60 मोटरसाइकिल)	0	0	0	0	48	360	0	408.00
iii	राजाजी पार्क हेतु	0	0	442	0	0	0	0	442.00
iv	मूल्यांकन व अनुश्रवण	25.75	17	10.75	0	0.75	0	50.95	105.20
v	कन्टीन्जेंसी	0.52	0	41	0	52.6	250	0	344.12
vi	ऑपरेशनल व्यय	24.25	18	22	0	12.5	0	0	76.75
vii	वन पंचायतों का सुदृढ़िकरण	410.49	378.54	0	480.3	0	0	0	1269.33
viii	जोन स्तर से प्रभागों को नियोजन हेतु	2179.92	1332.14	612.93	0	734.93	0	0	4859.92
	योग NPV	2784.92	1838.68	1202.68	480.3	848.78	610	50.95	7816.31
2	क्षतिपूरक वनीकरण (CA)	859.47	502.41	23.42	0	4.25	0	0	1389.55
	योग (CA)	859.47	502.41	23.42	0	4.25	0	0	1389.55
3	संरक्षित क्षेत्र								
i	अस्कोट	0	0	42.96	0	0	0	0	42.96
ii	गंगोत्री	0	0	54.81	0	0	0	0	54.81
iii	बिन्सर	0	0	8	0	0	0	0	8.00
	योग (PA)	0	0	105.77	0	0	0	0	105.77
4	OTHERS								
i	वृक्षारोपण	916.53	126.58	18.6	0	0	0	0	1061.71
ii	रिवर ट्रेनिंग	190	1296.59	0	0	0	0	0	1486.59
iii	मक डिस्पोजल	0	0	100	0	0	0	0	100.00
	योग (OTHERS)	1106.53	1423.17	118.6	0	0	0	0	2648.30
5	CAT PLAN								
i	तपोवन–विष्णुगाढ़	606.46	0	71.05	0	0	0	0	677.51
ii	लाता तपोवन	0	0	246.68	0	0	0	0	246.68
iii	सिंगोली भटवाड़ी	171.69	0	0	0	0	0	0	171.69
iv	फाटा–ब्युंग	51.27	0	87.44	0	0	0	0	138.71
v	श्रीनगर HEP	381.27	0	0	0	0	0	0	381.27
vi	व्यासी HEP	30	0	0	0	0	0	0	30.00
vii	लखवाड़ HEP	7	0	0	0	0	0	0	7.00
viii	विष्णुगाढ़–पीपलकोटी	10	0	0	0	0	0	0	10.00
ix	भ्युडार गंगा HEP	0	0	1.4	0	0	0	0	1.40
x	CAT PMU	9	0	4.25	0	40	0	0	53.25
	योग CAT Plan	1266.69	0	410.82	0	40	0	0	1717.51
	कुल योग	6017.61	3764.26	1861.29	480.3	893.03	610	50.95	13677.44

संचालन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार वर्ष 2014–15 की रु॰ 13677.44 लाख की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक–उत्तराखण्ड, प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी–कैम्पा तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व प्रभागीय वनाधिकारी)

कार्यसूची संचालन समिति 8.5: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के वर्ष 2013–14 के कार्यों की आन्तरिक लेखा परीक्षा की अद्यावधिक स्थिति:–

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के कार्यों का समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों का आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य CAG Empanelled CA Firms के माध्यम से सम्पन्न कराया जा चुका है एवं आन्तरिक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उक्त रिपोर्ट्स के बिन्दुओं का परीक्षण करने के पश्चात क्रियान्वयन अभिकरणों को आन्तरिक ऑडिट रिपोर्ट की प्रति अनुपालन/आख्या प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि आन्तरिक ऑडिट रिपोर्टस के बिन्दुओं का परीक्षण कर क्रियान्वयन अभिकरणों को समयबद्ध अनुपालन/आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जाए।

(कार्यवाही– समस्त क्रियान्वयन अभिकरण/प्रभागीय अधिकारी वन प्रभाग एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची संचालन समिति 8.6: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के वर्ष 2013–14 की बैलेन्स शीट एवं आयकर विवरणी तैयार किए जाने के सम्बन्ध में:–

समिति को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से चयनित CAG Empanelled CA Firms के द्वारा वर्ष 2013–14 की उत्तराखण्ड कैम्पा की बैलेन्स शीट संकलित (compile) की जा चुकी है। CA Firm K.W. Jain & Co. द्वारा वर्ष 2013–14 का आयकर अधिनियम की धारा–12A के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर आयकर विवरणी आयकर विभाग में दाखिल कर दी गई है।

सदस्यगण उपरोक्त से अवगत हुए एवं बैलेन्स शीट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची संचालन समिति 8.7: कैट प्लान के क्रियान्वयन हेतु जारी नवीन दिशा–निर्देशों में व्यय के फांट के अनुमोदन के सम्बन्ध में:–

सदस्यगण कृपया अवगत होना चाहें कि कैट प्लान के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या–P.O/50/13-2(2) दिनांक 02.08.2014 के माध्यम से नवीन दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। नवीन दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत कैट प्लान के घटक एवं सहघटकवार बजट प्राविधान की तालिका निम्नवत् है :

कैट प्लान के प्रस्तावित घटक :

घटक/सहघटक	कोड संख्या	विवरण	मात्राकृत प्रतिशत
घटक	1	परियोजना प्रबन्धन	12
सहघटक	1.1	प्रशासनिक व्यय	10
सहघटक	1.2	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	2
घटक	2	तैयार का फेज	10
सहघटक	2.1	संस्थागत पद्धति का विकास एवं EPA	4
सहघटक	2.2	क्षमता विकास एवं प्रचार–प्रसार	4
सहघटक	2.3	सूक्ष्म योजना व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	1
सहघटक	2.4	अध्ययन/अनुसंधान	1
घटक	3	कैचमेंट उपचार कार्य का फेज	75
सहघटक	3.1	कैचमेंट उपचार कार्य	63
सहघटक	3.2	संरक्षण लक्षित आजीविका संवर्द्धन	12
घटक	4	समेकन फेज	1
सहघटक	4.1	विड्रॉल प्लान का क्रियान्वयन	0.5
सहघटक	4.2	परियोजना कार्यो का संकलन समेकन एवं समापन	0.5
घटक	5	आकस्मिक व्यय	2
		कुल	100

समिति द्वारा अवलोकन कर उपरोक्त घटक/उपघटक एवं मात्राकृत प्रतिशत का अनुमोदन प्रदान किया गया । प्रस्तावित कैट प्लान के घटक–1.1 के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय की कार्यमद 1.1.1.2 में वाहनों का क्रय (चौपहिया व दुपहिया) /किराए पर लेने को भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं)

कार्यसूची संचालन समिति 8.8 अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार :–

8.8.1 प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव को सदस्य–कार्यकारी समिति नामित करने के सम्बन्ध में विचार।

वन्य जीव परिरक्षण संगठन का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण समिति द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के स्थान पर सर्वसम्मति से प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव को उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी

समिति का सदस्य नामित किये जाने का अनुमोदन कार्यकारी समिति द्वारा प्रदान किया गया है।

प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं द्वारा अवगत कराया गया कि वे संचालन समिति की बैठक में विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में आमंत्रित हैं परन्तु यह पद ही एक प्रमुख वन संरक्षक पद है जिसकी मूल सदस्यता संचालन समिति में नहीं है।

संचालन समिति द्वारा उपरोक्त का अनुमोदन एवं प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं तथा प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव को मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के स्थान पर संचालन समिति के सदस्य के रूप में नामित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक–उत्तराखण्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

8.8.2 देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत थानों रेंज में चौकीदार क्वाटर के रख–रखाव/अनुरक्षण हेतु कैम्पा निधि से व्यय करने पर विचार।

उक्त कार्य के लिए बजट की आवश्यकता पड़ने पर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड स्तर पर contingency मद के अन्तर्गत उपयोग में लाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक–उत्तराखण्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए धन्यवाद सहित बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

N. Ravi Shankar

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(एन0 रविशंकर)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–
संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

5 मन्दिर मार्ग, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2761077 ई–मेल: ceoukcampa@gmail.com,
Website : www.ukcampa.org

पत्रांक– 474 /13–2(8)/2012–13 दिनांक, देहरादून, 07 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर 2014

प्रतिलिपि:–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा. वन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. वन मंत्री जी एवं उपाध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. वित्त मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा. नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. नियोजन मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 474 (1)/13–2(6)/2012–13 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव–नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. अपर प्रमुख वन संरक्षक, केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (मध्य क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय–लखनऊ।
9. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
12. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

7/11

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 474 (2)/13–2(6)/2012–13 दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. वन महानिरीक्षक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी–एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
7. वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड।
9. अनुभाग अधिकारी, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।

7/11

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।